कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020 दिनांक 14.07.2020

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय।

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में रिशफल सम्भाग आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 17(7) शिक्षा–2/2016 पार्ट दिनांक 01.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डी.बी.रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2019) के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर नहीं किये जाने का स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय तथा वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.17(21)माध्य/शिक्षा–2/वि0प्र0/2019 पार्ट, दिनांक 23.06.2020 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के रिशफल सम्भाग आवंटन हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा दिशा–निर्देशों का अनुमोदन किए जाने पर वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व सम्भाग आवंटन में कार्यग्रहण किया गया, उन्हीं अभ्यर्थिया का रिशफल सम्भाग आवंटन किया जाता है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित, अभिंस्तावित एवं कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों का संलग्न विषयवार सूची अनुसार रिशफल सम्भाग आवंटन किया जाकर निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है –

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में रिशफल सम्भाग आवंटन हेतु शासन स्तर से अनुमोदित दिशा–निर्देशों (प्रति संलग्न) की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
2. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का रिशफल सम्भाग आवंटन के तहत पूर्व आवंटित सम्भाग में परिवर्तन होने वाले अभ्यर्थियों को ही नवीन आवंटित सम्भाग में काउंसलिंग हेतु सम्मिलित किया जावें।
3. काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों से पूर्व में वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में नियुक्ति उपरान्त कार्यरत होने के सम्बन्ध में वर्तमान पदस्थापित संस्था प्रधान से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. सम्भाग परिवर्तित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व सम्भाग से नवीन सम्भाग आवंटित होने पर उक्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने तथा पदस्थापन आदेश उपरान्त कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में रिशफल आवंटन पश्चात सम्भाग परिवर्तन वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का विलोपन नहीं होगा।
6. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में नियुक्ति उपरान्त सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति समाप्ति उपरान्त नवीन आवंटित मण्डल में पदस्थापन किया जावें।

7. रिशफल आवंटन में विशेष विवरण में जिन अभ्यर्थियों के सम्मुख अंकन किया गया है उसी अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में रिशफल आवंटन उपरान्त परिवर्तित अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश प्रदान किए जावेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि रिशफल मण्डल आवंटन के पश्चात जिन अभ्यर्थियों का मण्डल परिवर्तित हुआ है उन अभ्यर्थियों को नवीन संभाग में काउसंलिग में भाग लेने के पश्चात पदस्थापन आदेश जारी होने पर नवीन पदस्थापित विद्यालय हेतु निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर